जननायक चन्द्रशेखर विश्वविद्यालय, बलिया, उ0प्र0

Jananayak Chandrashekhar University, Ballia, U.P

पत्रांक– जे.एन.सी.यू./सम्बन्धन/18/2018/ दिनांक : 30 मई 2018

सम्बद्धता आदेश

उ.प्र. राज्य विश्वविद्यालय अधिनियम 1973 (यथासंशोधित उत्तर प्रदेश राज्य विश्वविद्यालय (द्वितीय संशोधन) अधिनियम, 2014) (उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 14 सन् 2014) की धारा–37(2) के परन्तुक के अधीन कार्य परिषद द्वारा अनुमोदन की प्रत्याशा में मा0 कुलपति जी के आदेश दि0 30.05.2017 के अनुपालन में **पन्ना स्नातकोत्तर महाविद्यालय भीमपुर बलिया (नवीन महाविद्यालय) में स्ववित्तपोषित योजनान्तर्गत स्नातक स्तर पर कला संकाय (बी0ए0) पाठ्यक्रम हिन्दी, समाजशास्त्र, राजनीतिशास्त्र, प्राचीन इतिहास, गृहविज्ञान, शिक्षाशास्त्र एवं भूगोल विषयों में** प्रति विषय 60 सीटों के अनुसार कुल **420 सीटों** पर बी0ए0 पाठ्यक्रम संचालित किये जाने हेतु निम्नलिखित शर्तों के अधीन **शैक्षिक सत्र 2018–19 से आगामी तीन वर्ष हेतु सम्बद्धता** प्रदान की जाती है:–

1. **संस्था/महाविद्यालय को सम्बद्धता आदेश इस शर्त के अधीन प्रदान की जा रही है कि प्रवेश/कक्षा संचालन से पूर्व महाविद्यालय द्वारा शिक्षण कार्य हेतु मानकानुसार अनुमोदित एवं कार्यरत् शिक्षकों की उपलब्धता सुनिश्चित की जाएगी, अन्यथा की स्थिति में सत्र 2018–19 में प्रवेश हेतु कालेज लागिन पर सीटें प्रदर्शित नहीं की जायेगी।**
2. संस्था/महाविद्यालय शासनादेश संख्या–2851/सत्तर–2–2003–15(92)/2002, दिनांक 02 जुलाई 2003 में उल्लिखित सुसंगत दिशा–निर्देशों एवं इस विषय में समय–समय पर निर्गत अन्य सुसंगत शासनादेशों का पालन करेगी।
3. संस्था/महाविद्यालय कुलसचिव को इस आशय का प्रमाण पत्र प्रतिवर्ष प्रेषित करेगा कि महाविद्यालय को प्रदान की गई सम्बद्धता की शर्ते महाविद्यालय निरन्तर पूरी कर रहा है।
4. संस्था/महाविद्यालय द्वारा विश्वविद्यालय की अधिनियम/परिनियमावली में वर्णित तथा शासन एवं विश्वविद्यालय द्वारा निर्धारित शर्तो एवं मानकों की पूर्णता एवं उनकी निरन्तरता को सुनिश्चित न किये जाने की दश ा में उ.प्र. राज्य विश्वविद्यालय अधिनियम 1973 के प्राविधानों के अंतर्गत संस्था को प्रदान की गई सम्बद्धता वापस किये जाने की कार्यवाही नियमानुसार की जायेगी।
5. संस्था/महाविद्यालय को सम्बद्धता आदेश महाविद्यालय द्वारा प्रमाणित प्रपत्रों एवं सूचनाओं के आधार पर जारी किया जा रहा है। प्रमाणित पत्रों/सूचनाओं के असत्य पाये जाने की दशा में महाविद्यालय को प्रदत्त सम्बद्धता स्वतः समाप्त हो जायेगी।
6. **महाविद्यालय द्वारा मानकानुसार अनुमोदित/कार्यरत शिक्षकों का बायोडाटा, अनुबन्ध पत्र वेतन भुगतान का विवरण अपनी वेबसाइट पर अपलोड करना अनिवार्य होगा। अनुमोदित/कार्यरत शिक्षकों के द्वारा ही परीक्षा आदि कार्य सम्पादित कराये जायेगें।**
7. मा. उच्च न्यायालय द्वारा रिट याचिका संख्या–61859/2012 में पारित आदेश दिनांक 20.12.2012 के अनुपालन में मानकानुसार शिक्षकों के अनुमोदन/नियुक्ति के सम्बन्ध में निर्गत शासनादेश संख्या–522/सत्तर–2–2013–2(650)/ 2012 दिनांक 30 अप्रैल 2013 का अनुपालन महाविद्यालय द्वारा सुनिश्चित की जाएगी।
8. संस्था/महाविद्यालय द्वारा प्रवेश एवं परीक्षाओं आदि से सम्बन्धित विश्वविद्यालय परिनियमावली/अध्यादेश एवं सुसंगत शासनादेश का पालन सुनिश्चित करेगी।
9. संस्था/महाविद्यालय द्वारा शासनादेश संख्या–421/सत्तर–1–2015–16 (20)/2011, दिनांक 22 मई 2015 के अनुसार प्रवेश प्रक्रिया सुनिश्चित की जाएगी।
10. संस्था/महाविद्यालय द्वारा मानकानुसार अनुमोदित एवं कार्यरत शिक्षकों की निरन्तरता सुनिश्चित की जायेगी।

(संजय कुमार)
कुलसचिव

प्रतिलिपि: निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित –

1. प्रमुख सचिव, उच्च शिक्षा अनुभाग–6, उत्तर प्रदेश शासन, लखनऊ।
2. मा0 कुलपति जी जननायक चन्द्रशेखर विश्वविद्यालय, बलिया।
3. **प्रबन्धक, पन्ना स्नातकोत्तर महाविद्यालय भीमपुर बलिया।**
4. निदेशक, उच्च शिक्षा, उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद।
   क्षेत्रीय उच्च शिक्षा अधिकारी, वाराणसी।
5. उपकुलसचिव को विश्वविद्यालय की वेबसाइट एवं कॉलेज लॉगिन पर अपलोड कराए जाने हेतु।

कुलसचिव